समूहों द्वारा किए गए विचार-विमर्श के परिणाम स्वरुप तथा विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और WUA अध्यक्षों से प्रस्तुतियों एवं सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर अंतिम सिफारिशें इस प्रकार हैं

समूहों के अध्यक्षों द्वारा चर्चा पर आधारित संस्तुतियां

भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा इंडियन नेटवर्क ऑन पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट द्वारा दिनांक 25 व् 26 अगस्त, 2015 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ,लुधियाना में पंजाब, हरियाणा, जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान के जल उपभोक्ता समूहों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया| सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों में से राजस्थान को छोड़कर किसी भी राज्य में सहभागी सिंचाई अधिनियम नहीं बना है .सम्मेलन के दूसरे दिन समूह चर्चा आयोजित की गई जिसमे अलग - अलग राज्यों के समूह बनाये गए जिनसे जल उपभोक्ता समूहों के कार्य करने में आ रही कठिनाइयों व उनके समाधान के बारे में चर्चा तथा प्रस्तुतीकरण कराये गए .जिन राज्यों में अधिनियम नहीं है उनके चर्चा के बिंदु राजस्थान ,जहाँ अधिनियम लागू है, से अलग थे उत्तराखंड मे कृषक समूह तो हैं परन्तु वे नहरी प्रबंध से नहीं जुड़े हैं वहा जलागम प्रबंध के लिए समूह काम कर रहे हैं पंजाब व हरियाणा में कृषक समूह कुलाबों से नीचे बने हैं उनका प्रणाली के ऊपरी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं है

जिन प्रदेशों में अधिनियम नहीं हैं (पंजाब, हरियाणा, जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) वहां के प्रतिभागीओं द्वारा चर्चा /प्रस्तुतीकरण में निम्न मांग / संस्तुतियाँ की गयी

1. सभी राज्यों के प्रतिभागियों का मत था कि जिन प्रदेशों में सहभागी सिंचाई अधिनियम नहीं है , वहां प्रदेश सरकारों द्वारा सहभागी सिंचाई अधिनियम बनाया जाये और लागू किया जाये ताकि जल उपभोक्ता समितियों को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो सकें.

2. प्रणाली का रखरखाव, विवाद निस्तारण , जल बंटवारा तथा जल दर वसूली कार्य कृषक समितियों द्वारा किये जाएँ परन्तु वितरनी तथा मुख्य नहर के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकार अभी सरकार के अधीन ही रहें .
3. गूलो को रेतीली मिट्टी होने के बाद भी केन्द्रीय अनुदान कम होने के कारण टेल तक पक्का न किये जाने के फलस्वरूप टेल के किसानो को सिंचाई में कठिनाई होती है | अतः गूल आउटलेट से लेकर अंतिम किसान के खेत तक बनाई जानी चाहिए |
4. जहां जल स्रोतों जलाशय आदि में राज्य के कृषकों का भी कुछ प्रतिभाग हो जिसका प्रबंध समिति करें.
5. छोटे छोटे गाँव होने से गाँव में अधिक समूह बनाने उपयुक्त नहीं होंगे अतः जलागम प्रबंध के लिए बने समूह का उपयोग नहरी जल प्रबंध के लिए भी किया जाय| यह समस्या विशेष रूप से उत्तराखंड में महसूस की गई |.
6. पर्वतीय प्रदेशों में छोटे छोटे खेत होने व बिखरे होने के कारण कृषक उनकी सिंचाई का प्रबंध ठीक से नहीं कर पाते अधिक पैदावार लेने के लिए उपयुक्त होगा की इन प्रदेशो में भूमि की चकबंदी कराकर कृषकों को सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय जिससे इन प्रदेशों में खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ अन्य विविधीकृत फसलों का उत्पादन बढ़ सके जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो.
7. नहरी जल के साथ -साथ अन्य जल स्रोतों जैसे मैदानों में भूजल व पर्वतीय क्षेत्रों में जलागम नालों आदि का प्रबंध भी समितियों को सौंप दिया जाय |
8. पिम अधिनियम होने के बावजूद समितियों को अराजक तत्वों से निपटने की तुरत व्यवस्था न होने के कारण कठिनाई आती है, अतः अधिनियम में संशोधन कर समितियों को अराजक तत्वों से निपटने के लिए तुरत दंड का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की जाये
9. समिति को वसूल किये गए सिंचाई शुल्क वसूली में से जल उपभोक्ता समिति को आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाये
10. सरकार द्वारा करायी जाने वाली मुख्य नहर की मरम्मत आदि कार्यो में समितियों को सम्मिलित किया जाय| इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा समिति का नहरों से लगाव बढेगा और समिति का कार्यों के सम्बन्ध में ज्ञान बढेगा जिससे वे कार्य करना सीखने में सक्षम होंगे|

11. समितियों को जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिलाये जाय जिससे उन्हें अपना मरम्मत का काम करने में आसानी हो तथा वे आय के स्रोत भी विकसित कर सके|
12. नहर प्रणाली जिन नदियों से नहर प्रणाली निकलती है उन नदियों के उपरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदूषित पानी मिलाये जाने पर रोक लगाई जाय जिससे नहरी पानी खेती में उपयोग के योग्य रह सके तथा प्रयोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए संकट न उत्पन्न करे |